31

संख्याः 1097/XVIII(II)/2013–1(56)/2011

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 7 मई, 2013

विषयः–डा0 सुशीला तिवारी ग्रामीण बालिका उत्थान समिति, उधमसिंहनगर को शैक्षणिक प्रयोजन (बी0एड0 पाठ्यक्रम का संचालन) हेतु ग्राम एवं तहसील सितारगंज, परगना किलपुरी, जनपद उधमसिंहनगर में कुल 0.4960 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 4403/सात–स0भू0अ0/2012 दि0–18.9.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, डा0 सुशीला तिवारी ग्रामीण बालिका उत्थान समिति, उधमसिंहनगर को शैक्षणिक प्रयोजन (बी0एड0 पाठ्यक्रम का संचालन) हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अभिमत/अनापत्ति के दृष्टिगत ग्राम एवं तहसील सितारगंज, परगना किलपुरी, जनपद उधमसिंहनगर के खसरा सं0 288/2 के अधीन रकबा 0.4960 है0 भूमि क्रय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (बी0एड0 पाठ्यक्रम का संचालन) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि भूमि के प्रस्तावित अंतरण से किसी राजस्व नियमों का उल्लंघन न हो तथा भूमि बंधक/भार मुक्त एवं विवाद रहित हो। 2

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– प्रस्तावित भूमि का उपयोग संस्था द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु ही करेगा। चूंकि एन0सी0टी0ई0 मानकानुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु भूमि–भवन अलग अवस्थित होगा। अतः यदि उक्त भूखण्ड का उपयोग इतर कार्यों के लिए किया जाता है तो उक्त अनुमति स्वतः समाप्त मान ली जायेगी तथा उक्त भूमि को तत्काल राज्य हित में राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

8– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

9– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

10– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।

11– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

12- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी यथा समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0–1097/XVIII(II)/2013–1(56)/2011/समदिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, पौड़ी
4. प्रबंधक, सुशीला तिवारी ग्रामीण बालिका उत्थान समिति, कैम्प कार्यालय, शक्तिफार्म, उधमसिंहनगर।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।